संख्याः–787 /XVII-2/2023-1(02)/10

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2023

विषय– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी ITC (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1502/XVII-2/21-01(02)2010, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी ITC (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश व विभिन्न व्यवस्थाएं/प्राविधान निर्धारित किये गये हैं।

2– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑनलाईन पेंशन आवेदनों में आ रही समस्याओं को संज्ञान में लाते हुए इसके निराकरण हेतु उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित ऑन–लाईन सत्यापन प्रक्रिया को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार संज्ञान में आया है कि अन्य जनपदों में भी उक्त प्रक्रिया को संशोधित किये जाने का अनुरोध है।

3– उक्त के दृष्टिगत् सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन/अनुदान योजनाओं को पारदर्शी ITC (Information and Communication Technology) के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वित किये जाने से सम्बन्धित उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–1502, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर–4(क) को जनहित/कार्यहित में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है–

बिन्दु संख्या–04

(क) शादी अनुदान के अतिरिक्त अन्य पेंशन/अनुदान योजनाओं में **ग्रामीण क्षेत्रों** के आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने तथा सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर आपलोड करने के पश्चात ही उनके आवेदन पत्र तथा पोर्टल पर अपलोड किए गये दस्तावेज सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लॉगिन पर ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु प्रदर्शित होंगे/जब तक आवेदक द्वारा अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जायेगा तब तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन पत्र अगले चरण में ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगा।

सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गये आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से

अवलोकन करने के पश्चात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जायेगा।

सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों मे भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को अस्थायी निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जायेगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑन लाईन भरे आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जायेगा।

यदि सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज सही पाये जाते हैं, तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को ऑन लाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जायेगा।

सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) के लॉगिन पर प्रदर्शित आवेदनों में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन को अस्थाई निरस्त(Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन पत्र में ऐसी त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) को आवेदन पत्र में भरी जानकारी तथा आवेदक द्वारा अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज सही पाये जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित बी0डी0ओ0 (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा सत्यापित (Verify) कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित/प्रेषित किया जाएगा।

सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन में भरी जानकारी तथा पोर्टल पर अपलोड किए गए आवश्यक दस्तावेजों (अभिलेखों) का बारीकी से अवलोकन कर आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect), निरस्त (Reject) अथवा सत्यापित (Verify) किया जाएगा।

यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन को अस्थाई निरस्त (Defect) किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन

पत्र भरते समय आवेदन पत्र में त्रुटि की गयी है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है अथवा आवेदक उक्त योजना हेतु अपात्र है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाएगा।

यदि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन पत्र में भरी जानकारी अपलोड किए गए दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित (Verify) कर भुगतान हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा।

4— उपर्युक्त शासनादेश संख्या—1502/XVII-2/21-01(02)2010, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 की अन्य शर्तें/प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः—787 (1)/XVII-2/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
9. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
12. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल, देहरादून।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
14. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (डी.आई.ओ. एन.आई.सी.), उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
15. समस्त जिला समाज अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
16. समस्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स0क0)
17. गार्ड पत्रावली।

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।